न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/107/2020

अपींलाट श्री जेठाराम पुत्र श्री सावलाराम
निवासी बजावास ग्राम पंचायत भीमरलाई पंचायत समिति बालोतरा जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश

दिनांक : 30.12.2020

अपीलार्थी श्री जेठाराम पुत्र श्री सावलाराम निवासी बजावास ग्राम पंचायत भीमरलाई पंचायत समिति बालोतरा ज़िला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 26.11.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 455595 दिनांक 05.10.2020 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को बावजूद नोटिस तामील टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई है।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करवाई है और न ही सूचना का अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निस्तारित किया गया है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण नियमानुसार शीघ्र किया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर